VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

बाल अधिकारों का संरक्षण: एक अधूरा एजेंडा

Protection of Child Rights: An unfinished agenda

भूमिका (Introduction)

विश्व भर में बचपन को आमतौर पर 'जीवन के स्वर्णिम काल' के रूप में देखा जाता है जो मासूमियत, स्वतंत्रता, हर्ष, आनंद और अन्य सामान्य भावनाओं का पर्याय होता है। हालांकि इस उम्र में बच्चे अपनी सबसे सुभेद्य अवस्था में होते हैं और उनकी देखभाल करने, उन पर ध्यान देने एवं उनके आसपास के सभी लोगों से उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। कोविड–19 के प्रकोप के कारण बच्चों की शिक्षा में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न हुआ है, उन्हें अलगाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है और उनका नियमित टीकाकरण बाधित हुआ है। इससे बच्चों के जीवन का यह 'स्वर्णिम काल' प्रभावित हुआ है और अंततः दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों पर इसका व्यापक असर पड़ा है। महामारी के अतिरिक्त अफगानिस्तान, म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों में हाल के संघर्षों के कारण बच्चों के अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है और बच्चे तथा उनके परिवार विस्थापित हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर मानवीय जरूरतों (humanitarian needs) को पूरा करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

इन उल्लंघनों के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। कई रिपोर्टें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हुए प्रभावों और उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को भूलने की समस्याओं को उजागर करती हैं। इसे अब मध्यम और दीर्घकाल में महामारी से उबरने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

इस गंभीर स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बाल अधिकारों की बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए इस दस्तावेज में हम बाल अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जैसे बाल अधिकारों के अनुरक्षण का क्या महत्व है? विश्व स्तर पर तथा भारत में बाल अधिकारों से संबंधित प्रावधान कैसे विकसित हुए? भारत में बाल अधिकारों के लिए प्रमुख जोखिम क्या–क्या हैं और वे उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? बाल अधिकारों के प्रभावी संरक्षण में किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? भारत में हाल में बाल अधिकारों का प्रावधान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तथा बच्चों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और न्यायसंगत दुनिया सुनिश्चित करने और बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है?

बालक कौन है और बाल अधिकार क्या हैं?

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) के अनुसार **'प्रत्येक मानव जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है वह एक बालक है।'** यह घोषणा प्रत्येक देश को अपने कानूनों के अनुसार बालक की आयु सीमा निर्धारित करने की अनुमति देती है।
- UNCRC के अनुसार, **बाल अधिकार ऐसे न्यूनतम अधिकार एवं स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को,** उनकी जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विश्वास, मूल, आर्थिक स्थिति, जन्म की स्थिति या क्षमता पर ध्यान दिए बिना प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए ये अधिकार हर जगह और सभी लोगों पर लागू होते हैं।
  - ये अधिकार **अन्योन्याश्रित और अविभाज्य हैं,** अर्थात एक अधिकार को किसी दूसरे अधिकार की कीमत पर नहीं प्रदान किया जा सकता है।
- UNCRC ने ऐसे मौलिक मानवाधिकारों की रूपरेखा तैयार की है जो चार व्यापक वर्गों में बच्चों को प्रदान किए जाने चाहिए। इनके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के सभी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को उचित रूप से शामिल किया गया है:

भारत में एक बालक कौन है?

स्रोत/दस्तावेज	आयु
भारत की जनगणना के अनुसार	14 वर्ष से कम आयु का एक व्यक्ति।
भारतीय दंड संहिता (IPC) के अनुसार	7 वर्ष (मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे के मामले में 12 वर्ष) से कम आयु का एक व्यक्ति (IPC की धारा 83)।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार	14 वर्ष से कम आयु का एक व्यक्ति।
बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के अनुसार	14 वर्ष से कम आयु का एक व्यक्ति।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार	18 वर्ष से कम आयु का एक व्यक्ति।

उत्तरजीविता का अधिकार
- जन्म लेने का अधिकार।
- न्यूनतम मानकों के भोजन, आवास और वस्त्रों का अधिकार।
- गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार।
- स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण एवं बच्चों को स्वस्थ्य रहने में सहायक जानकारी का अधिकार।

संरक्षण का अधिकार
- सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षा का अधिकार।
- उपेक्षा से सुरक्षा का अधिकार।
- शारीरिक और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार।
- हानिकारक दवाओं से सुरक्षा का अधिकार।

सहभागिता का अधिकार
- मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
- संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- सूचना का अधिकार।
- ऐसी किसी भी निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे शामिल हैं।

विकास का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार।
- सीखने का अधिकार।
- आराम करने और खेलने का अधिकार।
- भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) का सार

UNCRC ने इस धारणा को कानूनी अभिव्यक्ति प्रदान की है कि बच्चों के स्वतंत्र मानवाधिकार हैं। साथ ही यह भी कहा है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेते समय इन अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा।

इसके 54 अनुच्छेदों में बच्चों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह गैर–भेदभाव, बच्चों के सर्वोत्तम हितों, जीवन के अधिकार, उत्तरजीविता और विकास तथा बच्चों के विचारों को सम्मान देने के सामान्य सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। इसके पश्चात् यह नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के विशिष्ट अधिकारों का विस्तृत वर्णन करता है; जिसमें पारिवारिक परिवेश तथा वैकल्पिक देखभाल; बुनियादी स्वास्थ्य एवं कल्याण; शिक्षा, अवकाश और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा विशेष सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

बाल अधिकारों का महत्व

- **बच्चे सर्वप्रथम इंसान हैं तथा उनके स्वयं के अधिकार हैं जो उनकी विशेष जरूरतों को पहचानते हैं।**
- **बच्चों की क्षमताओं का विकास करना तथा उनकी वास्तविक क्षमता का उपयोग करना।**
- **बच्चे जीवन के आरंभ में पूर्णतया आश्रित होते हैं और अपने सर्वोत्तम हितों से अनजान होते हैं।**
- **समाज में उभरते परिवर्तनों, जैसे परिवार की संरचना में परिवर्तन, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण आदि से बच्चों की रक्षा करना।**
- **बच्चों का स्वस्थ विकास समाज और राष्ट्र के भावी कल्याण हेतु आवश्यक है।**

बाल अधिकार और बाल संरक्षण। क्या ये एकसमान हैं?

- बाल अधिकार सिद्धांतों अथवा आदर्शों का एक समूह हैं। ये अधिकार हैं तथा इनमें से कुछ न्यायालय में न्याय योग्य हैं, किंतु ये मूर्त नहीं हैं। संरक्षण इन्हीं अधिकारों में से एक है। **हालांकि बाल संरक्षण किसी अधिकार से बढ़कर है।**
- **बाल संरक्षण का तात्पर्य एक ऐसी ढांचा या प्रणाली से है जिसके द्वारा बाल अधिकार अस्तित्व में आ सकते हैं।** इस ढांचे में अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाएं शामिल हैं; जैसे–सरकारी विभाग, पुलिस, स्कूल, नागरिक समाज। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में इन सभी की अपनी–अपनी भूमिका है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने में भी इन सभी की भूमिका होती है कि किसी बच्चे के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्ता को सजा प्राप्त हो और बच्चे की देखभाल की जाए। **इसलिए बाल संरक्षण एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बच्चों के अन्य सभी अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है।**

विश्व स्तर पर और भारत में बाल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का विकास कैसे हुआ?

बाल अधिकारों के विकास की यात्रा काफी लंबी रही है। इस यात्रा की शुरुआत इन अधिकारों को बनाए रखने, संरक्षित करने और लागू करने के लिए अलग–अलग कानून बनाए जाने की आवश्यकता को स्वीकृति मिलने के साथ हुई। भारत ने हमेशा बाल अधिकारों के वैश्विक प्रयासों के साथ तालमेल स्थापित किया है।

जिनेवा घोषणा पत्र को वर्ष 1924 में तत्कालीन राष्ट्र संघ अर्थात् वर्तमान संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। यह एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें पहली बार बच्चों के लिए विशिष्ट अधिकारों के अस्तित्व और बच्चों के प्रति वयस्कों की जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया तथा इन अधिकारों की पुष्टि की गई थी।

जिनेवा घोषणा का अनुसरण करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों को केंद्रीय महत्व प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है।

क्या आप जानते थे?

आरंभिक काल में, बच्चों के प्रति कोई विशेष चिंता जाहिर नहीं की जाती थी और उनके साथ वयस्क के समान व्यवहार किया जाता था।

वर्ष 1840 के दशक में पहली बार बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा का विचार फ्रांस में उभरा कर आया। वर्ष 1841 के बाद फ्रांस में कार्यस्थल पर बच्चों को सुरक्षा तथा उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए।

हालांकि, विश्व ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बच्चों के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता को स्वीकार किया।

बाल अधिकारों के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं

1947

- संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत **यू. एन. फंड फॉर अर्जेंसी फॉर द चिल्ड्रन (UN Fund for Urgency for the Children)** नामक एक विशेष कोष का गठन किया। यह कोष आश्रय, ईंधन और भोजन से वंचित लाखों विस्थापित और शरणार्थी बच्चों के लिए गठित किया गया था। आगे चल कर इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के नाम से जाना गया।
  - ▶ वर्ष 1953 में UNICEF को एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्रदान किया गया। अब यह संगठन **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष** के नाम से जाना जाता है।

1989

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC)** को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसके साथ ही **यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला बाध्यकारी दस्तावेज** बन गया जिसमें बच्चों के सभी मौलिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। इस सम्मेलन में निहित अधिकार व कर्तव्य UNICEF के मानवाधिकार संबंधी कानूनी ढांचे का एक हिस्सा हैं।

1995

- UNICEF द्वारा **बाल अधिकार सूचना नेटवर्क** (CRIN) का आरंभ किया गया। यह विश्व स्तर पर बाल अधिकारों से संबंधित गतिविधियों पर जानकारी एकत्र करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को जोड़ता है।

1999

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों से संबंधित कन्वेंशन को अपनाया।** जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के काम पर तत्काल रोक लगाने और उसे समाप्त करने का आह्वान किया गया था।

2000

- सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की भागीदारी के संबंध में **बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के वैकल्पिक प्रोटोकॉल** की पुष्टि की गई। यह वर्ष 2002 में प्रभावी हुआ। **यह प्रोटोकॉल नाबालिगों के सशस्त्र संघर्षों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाता है।**

भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण को सक्षम करने वाली ऐतिहासिक घटनाएं

प्रगति	विवरण
शुरुआत	◉ **भारत में बच्चों से संबंधित पहला कानून– प्रशिक्षु अधिनियम 1850 (Apprentice Act of 1850):** हालांकि, इसके द्वारा अलग किशोर न्याय प्रणाली नहीं बनाई गई, बल्कि इसने वयस्क न्याय प्रणाली के अंतर्गत कार्य किया। ◉ **सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897** के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली में पहली बार बच्चों को वयस्कों से अलग किया गया।
बच्चों के विशेष मुद्दों को मान्यता	◉ **प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951** में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित कर बच्चों के कल्याण पर जोर दिया गया। ▶ इसके तहत **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (SWB)** की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने में स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता करना था। ▶ सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए **'बालवाड़ी' और 'महिला मंडल'** भी स्थापित किए। ◉ **बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए, जैसे:** महिला एवं बालिका अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (SIIA)–1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, महिला एवं बाल संस्थान (लाइसेंसिंग) अधिनियम, बाल कल्याण अधिनियम–1960 आदि।
बाल अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र से प्रेरणा	◉ **सामाजिक सुरक्षा विभाग, 1964** (वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य बच्चों सहित कमजोर वर्गों के विभिन्न मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था। ◉ **बच्चों को सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए कानून:** बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,1929, इसे वर्ष 1975 में संशोधित किया गया, बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम,1976, किशोर न्याय अधिनियम, 1986, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, आदि। ◉ वंचित बच्चों तक पहुँचने के लिए राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 और देश के बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), 1975। ◉ **बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख कार्यक्रम:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, 1986 तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF), 2005, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, आदि।

भारत में बाल अधिकारों के लिए प्रमुख जोखिम क्या हैं और वे उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं?

जमीनी हकीकत पर संक्षिप्त नजर

- **बाल मृत्यु दर (Child Mortality): भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु अपने पांचवें जन्मदिन से पहले हो जाती है।** शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर क्रमशः 35.2 और 41.9 है।
- **जल संकट (Water stress): भारत में 2 करोड़ से अधिक बच्चे अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं।**
  - ▶ नतीजतन, बच्चों में जल जनित रोग अत्यंत सामान्य हैं। यह आगे चल कर निराशा और मृत्यु का कारण बनता है।
- **कुपोषण (Malnourishment): यूनिसेफ के अनुसार, विश्व में अति गंभीर कुपोषण (Severe Acute Malnutrition) से ग्रस्त सर्वाधिक बच्चे भारत में हैं।**
  - ▶ इससे बचपन में संक्रमण और अपरिवर्तनीय शारीरिक और मानसिक क्षति की संभावना बढ़ जाती है।
  - ▶ ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2021) में भारत 107 देशों में 101वें स्थान पर है, जो कि वर्ष 2020 में 94वें स्थान से काफी नीचे है।

- **बाल विवाह (Child Marriage): पूरे विश्व में बाल वधुओं की एक–तिहाई संख्या अकेले भारत में हैं। वर्तमान में 15–19 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 16% किशोरियों का विवाह हो चुका है।**
  - ▶ इसके अनेक हानिकारक परिणामों में मातृ और शिशु मृत्यु, लड़कियों की निम्न शिक्षा, घरेलू हिंसा और गरीबी शामिल हैं।
- **बच्चों को गोद लेने की दर में गिरावट: पिछले एक दशक में बच्चों को गोद लेने की दर में लगातार गिरावट आई है।**
  - ▶ इसके परिणामस्वरूप, बच्चे माता–पिता की देखभाल, प्यार और सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं।

- **बाल दुर्व्यवहार (Child Abuse): यूनिसेफ के अनुसार, बच्चों को अनुशासन में रखने के प्रयास में 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के माता–पिता द्वारा अपने बच्चों के खिलाफ 33 विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार दर्ज किए गए।**
  - ▶ यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास को बाधित कर सकता है। साथ ही, यह बच्चों में चिंता, अवसाद की उच्च दर और यहां तक कि आत्म–क्षति की प्रवृत्ति भी पैदा कर सकता है।

- **अवैध व्यापार (Trafficking): भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 40,000 बच्चों का अपहरण हो जाता है जिसमें से 11,000 का पता नहीं चलता है।**
  - ▶ अवैध बाल व्यापार के शिकार हुए बच्चों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें जीवन की अमानवीय स्थिति, अपर्याप्त आहार एवं स्वच्छता, पिटाई और दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल एवं सुरक्षा से वंचित होना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी शारीरिक क्षति और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।

- **निर्णय निर्माण में शामिल न करना: बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं माना जाता है।** उन्हें परिवार, स्कूल या सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है।
  - यह स्वयं बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भी भाग लेने के उनके अवसरों और क्षमता को सीमित करता है।

- **बाल श्रम (Child labour): जनगणना, 2011 के अनुसार, भारत में 5–14 वर्ष की आयु के बीच के 10.1 मिलियन बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।**
  - बाल श्रम के परिणामस्वरूप अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक क्षति, दासता, यौन या आर्थिक शोषण और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
- **कोविड–19 महामारी ने बाल अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ा दिया है। यह उल्लंघन मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, पढ़ने–लिखने की क्षमता में कमी, अभिभावकों को खोने के रूप में सामने आया है। अन्य बच्चों में यह ऑनलाइन यौन शोषण के रूप में भी देखा गया है।**

भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण में आने वाली सामान्य बाधाएं क्या हैं?

भारत विविध धर्मों, समुदायों, रीति–रिवाजों, मानदंडों, विश्वासों, व्यंजनों और वेशभूषाओं वाला देश है। देश के विभिन्न भागों में परिवार और समुदाय की संरचना भी भिन्न–भिन्न होती है। जाति, वर्ग और धर्म भारतीय समाज के संपूर्ण परिदृश्य की पृष्ठभूमि बनाते हैं। ये कारक बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रयासों को प्रभावित करते हैं और प्रायः इस कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

- **सामाजिक व सांस्कृतिक कारक**
  - **समाज की पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक प्रकृति** बालिकाओं का अनादर करती है।
  - **अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को सामान्यतः सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हो पाती है।** इसके कारण बाल विवाह एवं प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित मामले प्रायः रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं।
    - उदाहरण के लिए, बाल विवाह जनसंख्या के ग्रामीण और गरीब वर्गों में संस्कृति और परंपराओं के एक अंग के रूप में अधिक प्रचलित हैं।

  - **अक्सर बच्चों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट नहीं की जाती है क्योंकि ये घटनाएं परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती है और अभियोजन एवं दोषसिद्धि की दर कम होती है।** इसके अतिरिक्त, माता–पिता को शारीरिक हिंसा/शारीरिक दंड का प्रयोग एक समस्या नहीं लगता है।
- **राजनीतिक और प्रणालीगत कारक**
  - **अच्छी मंशा लेकिन खराब क्रियान्वयन:** बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की सकारात्मक मंशा उपयुक्त कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों को तैयार करने के माध्यम से उठाए गए कदमों से स्पष्ट है। हालांकि, इन पर अमल करना एक चुनौती बना हुआ है।

- **उदाहरण के लिए,**
  - ऐतिहासिक कानूनों के मामले में डेटा की कमी, जैसे कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act);
  - कुछ विशेष योजनाओं जैसे – एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) और सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन नहीं किए गए हैं;
  - विशिष्ट फंडों के प्रभावी उपयोग का अभाव जैसे कि– निर्भया फंड;
  - अपर्याप्त बजटीय प्रावधान, इत्यादि।
- **न्याय सुनिश्चित करने में देरी:** रिपोर्टिंग की कमी के अलावा, लंबा समय लेने वाली एवं विलंबित कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामले, जांच एजेंसियों द्वारा कम प्राथमिकता देना, पीड़ित एवं गवाहों की सुरक्षा की कमी और पीड़ित द्वारा अपराधियों से समझौता कर लेना आदि कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से दोषसिद्धि दर कम होती है।
  - न्यायिक सुधारों (उदाहरणार्थ – गुप्त ढंग से सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और बच्चों के लिए विशेष न्यायालय) पर काफी लंबे समय से विचार–विमर्श चल रहा है। हालांकि अभी तक इसे संस्थागत रूप नहीं दिया गया है।
- **बच्चे की परिभाषा में एकरूपता का अभाव:** भारत अभी भी बच्चे की कानूनी उम्र को परिभाषित करने हेतु प्रयासरत है। आदर्श आयु 14 वर्ष हो या 18 वर्ष, इस पर अभी भी बहस चल रही है।

आर्थिक कारक

- **माता–पिता में इस बात को लेकर कम विश्वास होता है कि एक अच्छी नौकरी दिलाने में शिक्षा उपयोगी है।** इसके परिणामस्वरूप वे अपने बच्चों द्वारा स्कूल में समय और संसाधन खर्च करने के बजाय उनसे काम कराना अधिक पसंद करते हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट (NFHS–4) के अनुसार, **15–19 वर्ष की आयु की महिलाओं में प्रसव की घटनाओं में वृद्धि में धन की भूमिका महत्वपूर्ण है।** यह धन के स्तर में वृद्धि अर्थात अमीर होने के साथ घटता जाता है।

अन्य कारक

- **विशिष्ट सुभेद्यता वाले बच्चों की खोई हुई पहचान:** उपेक्षित बच्चों का समूह जैसे कि–
  - सड़कों पर रहने वाले बच्चे,
  - किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के बच्चे या जेल में पैदा हुए बच्चे,
  - अवैध व्यापार किए गए बच्चे,
  - वे बच्चे जो संघर्ष एवं आपदाओं को झेल रहे हैं, तथा
  - यौनकर्मियों के बच्चे,
  - अनाथ बच्चे,
  - दिव्यांग बच्चे,
  - थर्ड जेंडर से संबंधित बच्चे

इन बच्चों के पास प्रायः पहचान दस्तावेजों का अभाव होता है। पहचान प्रमाण का अभाव उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त करने से वंचित करता है।

- **प्रौद्योगिकी का प्रभाव:** प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच, विशेष रूप से इंटरनेट बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करता है। लेकिन मूलभूत रक्षोपायों और फायरवॉल के बारे में उनकी कम जागरूकता उन्हें डिजिटल अपराधों के प्रति सुभेद्य बनाती है। जिसके कारण उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है।

क्या उभरता हुआ डिजिटल युग बाल अधिकारों की रक्षा कर रहा है? अथवा उनका उल्लंघन कर रहा है?

बच्चों के लिए इंटरनेट के अनेक लाभ हैं: यह सूचना तक पहुंच, आत्म–अभिव्यक्ति के अवसर, व्यापक जागरूकता और सामाजिक संपर्क के व्यापक अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही यह बच्चों के लिए नए जोखिमों के द्वार भी खोलता है। इन जोखिमों में वयस्क उपयोगकर्ताओं द्वारा शोषण एवं दुर्व्यवहार, साथियों द्वारा 'साइबर बुलिंग' करना तथा अधिक इंटरनेट उपयोग शामिल हैं।

दूसरी ओर, बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार और अति–उपयोग से बचाने के उद्देश्य से उठाए गए कदम प्रायः बच्चों को डिजिटल दुनिया के लाभों से दूर कर देते हैं, जबकि इन लाभों पर उनका वयस्कों के समान अधिकार होता है। यह एक दुष्चक्र बनाता है **जिससे बच्चों के अधिकारों का कई तरह से उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए:**

शिक्षा के अधिकार और सूचना तक पहुंच का उल्लंघन

- **गरीब परिवारों के बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच का न होना:** इन बच्चों को इंटरनेट तक पहुंच से सबसे अधिक लाभ हो सकते हैं, साथ ही, इंटरनेट तक पहुंच न होने से सबसे अधिक नुकसान भी इन्हीं बच्चों का होता है।

- **अत्यधिक प्रतिबंध:** यह आवश्यक है कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अनुचित सामग्री तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिबंधों से बच्चे अपने विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। साथ ही, यह उनकी अभिव्यक्ति के अधिकारों का भी उल्लंघन है क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए सूचना और सभी प्रकार के विचारों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

- **निजता के अधिकार का उल्लंघन**
  - **बच्चों में उनके निजता संबंधी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव:** गेम्स जैसी ऑनलाइन सेवाओं के लिए बच्चों द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने से सेवा प्रदाता बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को विस्तार से ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही वे बच्चों को और अधिक व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए प्रलोभन दे सकते हैं।
  - **परिजनों के द्वारा ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करना:** हालांकि निगरानी की प्रकृति हस्तक्षेप करने की होती है और ज़रूरी नहीं कि इसमें बच्चे की सहमति हो, फिर भी यह बच्चों एक लिए अलाभकारी हो सकती है। जब बच्चों को पता होता है कि उनकी निगरानी की जा रही है, तो उनके द्वारा अपने व्यवहार को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने एवं बातचीत को स्व–नियंत्रित करने की संभावना होती है। इससे परिजनों पर उनका विश्वास कम होता है।

- **शोषण एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन**
  - **ऑनलाइन दुर्व्यवहार से वास्तविक जीवन से जुड़े जोखिमों में वृद्धि हो सकती है:** जब बच्चों को उनकी शारीरिक बनावट इत्यादि जैसी बातों के लिए ऑनलाइन परेशान किया जाता है तो इससे अपने दोस्तों से बात करने का उनका तरीका प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है तथा उनमें मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है।
  - **ऑनलाइन ग्रूमिंग** एवं इसके परिणामस्वरूप होने वाला लैंगिक दुर्व्यवहार/उत्पीड़न।

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुने जाने के अधिकारों का उल्लंघन:** अप्रत्याशित पहुंच के साथ विश्व तक अपनी आवाज पहुंचाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने और सामाजिक एवं पारिस्थितिक उद्देश्यों के लिए संगठित होने आदि के मामलों में बच्चों को वयस्कों के समान ही दमन का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चे निगरानी को दरकिनार करते हुए डार्क वेब जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करके अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता (Freedom of Action) को संरक्षित कर रहे हैं।

समय की मांग

बच्चों को हानिकारक सामग्री और दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करना देशों और राज्यों का विधिक कर्तव्य है। ऐसा करने के लिए बच्चों के डिजिटल अधिकारों को कम करना न तो आवश्यक है और न ही प्रभावी है। इस मामले में रणनीतिक दृष्टिकोण चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित होना चाहिए:

- **अधिकारों को प्राथमिकता देना:** बच्चे अपने सभी अधिकारों का ऑनलाइन भी अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हों। इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंच बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है।
- **डिजिटल साक्षरता:** बच्चों के विकास के प्रारंभिक चरण में और उनके संपूर्ण विकास के दौरान निरंतर यह सुनिश्चित करना कि बच्चे अपने डिजिटल अधिकारों और उसके जोखिमों से अवगत हैं तथा उन्हें यह ज्ञात है कि ऐसे जोखिमों के संबंध में क्या करना है और क्या नहीं।
- **सहमति:** बच्चों को इस संबंध में अपने बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त करना कि कैसे अन्य व्यक्ति उनकी सहमति से उनकी जानकारी को एकत्रित और उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि डिजिटल रूप से सहमति प्रदान करने की आयु को निर्धारित कर दिया जाए जैसा कि यूरोपीयन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- **न्याय तक पहुंच:** यह सुनिश्चित करना कि बच्चों के पास उनके अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में औपचारिक (कानूनी सहित) शिकायत दर्ज कराने का मार्ग उपलब्ध है। साथ ही इन शिकायत प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।

एक वार्तालाप!
पर्यावरणीय न्याय तक बच्चों की पहुंच

श्रीमती मेहरा: नमस्कार श्रीमती वर्मा। काफी दिनों के बाद आपको देख कर अच्छा लगा। विनी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है?

श्रीमती वर्मा: श्रीमती मेहरा आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगा। तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन इस साल मैं उसके लिए थोड़ी परेशान हूं।

श्रीमती मेहरा: आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विनी हमेशा अपनी कक्षा में पहले स्थान पर रही है!

श्रीमती वर्मा: लेकिन इस साल उसने पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हुए कुछ प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए अपनी बहुत सी कक्षाएं छोड़ दी हैं।

श्रीमती मेहरा: यह तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। विनय ने भी पर्यावरणीय न्याय में बच्चों के अधिकारों के लिए होने वाले प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

श्रीमती वर्मा: पर्यावरणीय न्याय से आपका क्या मतलब है?

श्रीमती मेहरा: यह पर्यावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने का बच्चों का अधिकार है। आपने 16 साल की स्वीडिश लड़की ग्रेटा थनबर्ग के बारे में अवश्य सुना होगा, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ आवाज उठाई और प्रजातियों की विलुप्ति का विरोध करने वाले आंदोलन का समर्थन किया है।

श्रीमती वर्मा: मैं समझती हूं कि यह एक अच्छा काम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस उम्र में बच्चों को अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण क्षरण एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है और बच्चे इससे शायद ही प्रभावित होते हैं।

श्रीमती मेहरा: नहीं, यह पूरी तरह सच नहीं है। आप जानती हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2012 में 5 वर्ष से कम आयु के 1.7 मिलियन बच्चों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वे अस्वस्थ वातावरण में रहते थे। वायु और जल प्रदूषण का एक उदाहरण लेते हैं। आर्सेनिक जैसे खतरनाक प्रदूषक बच्चों को विषम रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे अपरिवर्तनीय दीर्घकालिक क्षति, विकलांगता या मृत्यु भी हो सकती है।

श्रीमती वर्मा: आप सही कह रही हैं! सूखे और बाढ़ के दौरान बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु संकट के कारण बढ़ जाता है।

श्रीमती मेहरा: इसके अलावा, अक्सर बहुत से बच्चे अपने अधिकारों के बारे में अनजान होते हैं और इसी वजह से उन्हें आसानी से राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है जो इस मुद्दे को और जटिल बना देता है।

श्रीमती वर्मा: मेरा मानना है कि बाल अधिकारों और बच्चों के स्वास्थ्य पर बनने वाले कानूनों, नीतियों और कार्यों में पर्यावरणीय क्षति से सुरक्षा को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

श्रीमती मेहरा: निश्चित रूप से और इसी कारण से बच्चों को, उन्हें सजा दिए जाने के डर के बिना, उनसे संबंधित मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ताकि वे अपने लिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकें जिसमें वे जीना चाहते हैं।

श्रीमती वर्मा: आपने सही कहा श्रीमती मेहरा। मुझे इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।

हाल ही में भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनका प्रावधान करने हेतु कौन–से कदम उठाए गए हैं?

- **राष्ट्रीय बाल नीति (2013)** में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बालक के रूप में मान्यता दी गई है। इस नीति में ध्यान केंद्रित करने हेतु चार मुख्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पहचान की गई है, वे क्षेत्र हैं: उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण; शिक्षा एवं विकास; सुरक्षा एवं भागीदारी।

- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 {Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 (POCSO Act)}** का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को लैंगिक शोषण और उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने हेतु विधिक प्रावधानों को मजबूत करना है।

- **बाल श्रम:** बाल श्रम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित दो मुख्य कन्वेंशन हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कन्वेंशन–138, जो रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु से संबंधित है। दूसरा, कन्वेंशन–182, जो बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूपों से संबंधित है। भारत ने दोनों ही कन्वेंशन को स्वीकार किया है।

- **बाल अधिकार संरक्षण आयोग: सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) का गठन किया गया है। इस अधिनियम** को न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर समिति की मसौदा रिपोर्ट के आधार पर अधिनियमित किया गया था। कई राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोगों का गठन भी किया गया है।
  - ये आयोग बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु स्वतः संज्ञान लेते हुए कदम उठाने के लिए अधिकृत हैं।

- **मौजूदा अधिनियमों को और अधिक मजबूत बनाना:**
  - **किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021** में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
  - **बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। साथ ही यह किशोरों (14 से 18 वर्ष) को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने से प्रतिबंधित करता है।
  - **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,** 2006 द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 में संशोधन किया गया है। संशोधन में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में, **अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एकरूपता लाने के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।**

भारतीय संविधान में बाल अधिकारों को संरक्षित करने हेतु कौन–से प्रावधान किए गए हैं?

भारतीय संविधान के भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों और भाग IV में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों की उत्तरजीविता, विकास एवं सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। ये समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल हैं। हालांकि, वास्तविक अर्थों में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा ही संचालित की जाती हैं।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को बच्चों के हित में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं।

बच्चों के विकास हेतु संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार**
  - राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को ऐसी रीति से देने का प्रावधान करेगा जिसे राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।
- **अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध**
  - 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य संकटमय/खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 39(e): राज्य, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करेगा** कि बच्चों की कम आयु का दुरुपयोग न हो और उन्हें आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं हैं।

बच्चों और उनके अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

बाल अधिकारों को प्राथमिकता देने हेतु सभी प्रमुख विकास अभिकर्ताओं द्वारा सहयोगात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इन अभिकर्ताओं में राज्यों, नागरिक समाज संगठनों, बच्चों, समुदायों, मीडिया और निजी क्षेत्रक आदि शामिल हैं। इनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

सरकार द्वारा नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना

- **यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे: विशेष कमजोरियों वाले बच्चों को शामिल करते हुए** और उन पर विशेष ध्यान देते हुए सभी बाल अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक मानदंडों को पहचान की जानी चाहिए। साथ ही विभिन्न समूहों में सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति को ट्रैक किया जाना चाहिए।
- **विश्वसनीय डेटा का निर्माण:** प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के संबंध में बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक बच्चे के डेटा को एकत्र किया जाना चाहिए। साथ ही, विविध संदर्भों एवं समाधानों को दर्ज करने हेतु बहुक्षेत्रीय अनुसंधान और मूल्यांकन के मानकीकृत उपाय/उपकरण विकसित करने के लिए भी प्रत्येक बच्चे के डेटा को एकत्र किया जाना चाहिए।
- **बच्चों की भागीदारी के लिए मंच उपलब्ध कराना:** स्कूलों और समुदायों के भीतर बच्चों की भागीदारी के लिए विशेष मंच का निर्माण करना चाहिए। जैसे– बाल संसद तथा बाल एवं किशोर समूह बनाना।
  - **बच्चों की भागीदारी के लिए मंच उपलब्ध कराना:** स्कूलों और समुदायों के भीतर बच्चों की भागीदारी के लिए विशेष मंच का निर्माण करना चाहिए। जैसे– बाल संसद तथा बाल एवं किशोर समूह बनाना।
- इन उपायों के माध्यम से स्थायी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे–
  - सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन (SAM) की शीघ्र पहचान और रेफरल के माध्यम से,
  - समुदायों की मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), पोषण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कार्यक्रमों की वास्तविक समय में निगरानी के माध्यम से, और

- ▶ जिला और उप–जिला स्तरों पर पोषण–विशिष्ट और पोषण–संबंधी विभागों के अंतर–क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से।

- **सभी के लिए शिक्षा, खेल और मनोरंजन:** इसके लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए
  - ▶ शिक्षा का अधिकार (RTE) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मानदंडों के अनुसार अनिवार्य शिक्षक व छात्रों का तथा छात्रों व क्लास–रूम का अनुपात,
  - ▶ निर्भय एवं सुरक्षित वातावरण,
  - ▶ पर्याप्त गुणवत्ता वाली भौतिक अवसंरचना,
  - ▶ अनिवार्य जीवन–कौशल शिक्षा,
  - ▶ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) आदि।

- **सभी स्तरों पर बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करना:** गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (PCPNDT) और किशोर न्याय जैसे मौजूदा कानूनों को मजबूत करने के अतिरिक्त, **बच्चों के खिलाफ हिंसा पर रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसे बच्चों के लिए अधिक सुलभ बनाकर सुदृढ़ किया जा सकता है।**

न्यायपालिका द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। इन याचिकाओं का उपयोग कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन पर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। साथ ही, इनका उपयोग कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में होने वाले अंतराल को दूर करने के लिए भी किया गया है। इन मुद्दों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों और स्वतः संज्ञान के उदाहरण निम्नानुसार हैं:

- **सीमा बनाम अश्विनी कुमार और अन्य वाद (2006): इस वाद में बाल विवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया।**
  - ▶ उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के सभी नागरिकों के विवाह अनिवार्य रूप से उस राज्य में पंजीकृत होने चाहिए जहां उनका विवाह संपन्न हुआ था, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके तहत विवाह के समय आयु बताने और उसे साबित करने को अनिवार्य बनाया गया है।
- **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ वाद (2017): इस वाद में यौन शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया।**
  - ▶ उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बीच की विसंगतियों को दूर किया है। इस विसंगति को दूर करने हेतु एक नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया गया।
- **संपूर्णा बेहरुआ बनाम भारत संघ और अन्य वाद: इस वाद में किशोर न्याय संबंधी कानूनों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया।**
  - ▶ उच्चतम न्यायालय ने देश में किशोर न्याय की स्थिति में सुधार करने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य संबंधित अभिकर्ताओं के लिए कई सुझावों को सूचीबद्ध किया।
- इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने रेलवे स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय दोनों को दिशा–. निर्देश बनाने का निर्देश भी दिया।

- **बच्चों के लिए किए जाने वाले निवेश को बढ़ाना और उसे न्यायसंगत बनाना:** बच्चों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके साथ ही, बजट प्रक्रियाओं में इक्विटी–आधारित आवंटन मानदंड को निहित करके संसाधनों को आवश्यकता के अनुरूप निर्धारण किया जाना चाहिए।
- **प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण:**
  - ▶ योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं के प्रावधान हेतु **योग्य और प्रशिक्षित पेशेवर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।**
    - ■ अग्रिम पंक्ति के सेवा प्रदाताओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। इन सेवा प्रदाताओं में मुख्य रूप से आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आदि शामिल हैं।
  - ▶ **भविष्य में आने वाली बाधाओं जैसे महामारी के लिए लोचशीलता सुनिश्चित करना:** स्कूली प्रणालियों द्वारा छात्रों, परिवारों और शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण वातावरण में लर्निंग के साथ पुनः जुड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्र अभी–अभी महामारी के शैक्षणिक और सामाजिक भावनात्मक प्रभावों से उबरे हैं। इसलिए छात्रों की सहायता के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो उनकी आवश्यकताओं को समझ सके।

नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की सहायक भूमिका

- **संवेदीकरण:** CSOs को बच्चों और समुदायों को बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। साथ ही, CSOs द्वारा उन्हें अपनी आवाज उठाने और अधिकारों की मांग करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।

- **सामाजिक अंकेक्षण:** इन्हें बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राज्य और जिला स्तर पर निगरानी तंत्र में अधिक संलग्न करना चाहिए। साथ ही, साक्ष्य–आधारित अनुसंधान और बच्चों के लिए जारी कार्यक्रमों के मूल्यांकन के माध्यम से सरकार को इनके संबंध में सूचित करना चाहिए।

- **पोषण संबंधी जागरूकता और प्रथाएं:** इन्हें मातृत्व, शिशु, छोटे बच्चों के पोषण संबंधी प्रथाओं जैसे MIYCN (Maternal, Infant and Young Child Feeding Nutrition) को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही, शिशुओं के लिए पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यवहार–परिवर्तन संचार सामग्री को विकसित करना चाहिए।
- **माता–पिता, सेवा प्रदाताओं और समुदायों के साथ जुड़ाव:** बच्चों की घरेलू, संस्थागत एवं गैर–संस्थागत देखभाल व्यवस्था में जिम्मेदारी पूर्ण और हिंसा एवं शारीरिक दंड से रहित देखभाल के लिए माता–पिता और समुदायों के साथ जुड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दुर्व्यवहार और हिंसा का सामना कर रहे बच्चों की शीघ्र पहचान करने के साथ–साथ उनका प्रबंधन करना चाहिए। साथ ही, लैंगिक मुद्दों के संबंध में उन्हें संवेदनशील बनाना चाहिए।
- **बिना माता–पिता के बच्चों के लिए वैकल्पिक देखभाल प्रदान करना:** इन्हें बिना परिवार के बच्चों को परिवार की तरह और परिवार–आधारित देखभाल जैसे देखभाल के गैर–संस्थागत मॉडलों को बढ़ावा देना चाहिए।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी

- **एकीकृत बाल अधिकार व्यावसायिक सिद्धांत (CRBP) (Integrate Child Rights Business Principles):** निजी क्षेत्रक द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार के बाल अधिकारों के उल्लंघन को नहीं होने देना चाहिए। साथ ही उन्हें बच्चों के अनुकूल और बाल अधिकार आधारित व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए CRBP को निजी व्यवसायों के कामकाज में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- इनके द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम के माध्यम से **शिक्षा और स्वास्थ्य के अतिरिक्त बाल अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।** साथ ही, स्थायी प्रभाव पैदा करने वाले सामुदायिक भागीदारी दृष्टिकोणों में अधिक निवेश करना भी आवश्यक है।
- प्रभावी कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने में **नागरिक समाज संगठनों को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाना चाहिए।**

मीडिया की प्रभावी और सक्रिय उपस्थिति

- **बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना:** बाल अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील और निरंतर रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। साथ ही, इन्हें बाल अधिकारों की कवरेज और प्रोत्साहन से संबंधित उत्तम प्रथाओं के लिए प्रयास करना चाहिए।
- मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के बजाय, मीडिया को कारण के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही इनके द्वारा अधिक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने हेतु विचार–विमर्श को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

1840 के दशक के बाद विश्व में बाल अधिकारों की अवधारणा की शुरुआत होने के बावजूद, इन अधिकारों की पूर्ण उपलब्धि अभी तक नहीं की जा सकी है। साथ ही, ये अधिकार अभी भी अधिकांश बच्चों के लिए एक स्वप्न की तरह है। भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 400 मिलियन से अधिक है। इन बच्चों का मानव संसाधन के रूप में विकास करना न केवल सरकार द्वारा बल्कि सभी हितधारकों द्वारा भी एक प्रमुख राष्ट्रीय चिंता के रूप में माना जाना चाहिए। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) और सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार, भारत ने बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। भारत द्वारा इस प्रतिबद्धता को मौजूदा कानूनों में उचित बदलाव करके और पथ–प्रदर्शक नीतियों एवं कार्यक्रमों की शुरुआत करके प्रदर्शित किया गया है। हालांकि, इनकी पूर्ण प्राप्ति के लिए अभी भी अनेक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

बाल अधिकारों का संरक्षण सभी संबंधित संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बच्चों के लिए एक उपयुक्त विश्व का निर्माण करने हेतु सभी स्तरों पर और सभी हितधारकों द्वारा एक समन्वित तथा सहयोगी प्रयास करने की आवश्यकता है।

टॉपिक एक नज़र में

बालक एवं बाल अधिकार

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) के अनुसार,

- **18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मानव को बच्चे या बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।**
- **बाल अधिकार वे न्यूनतम अधिकार और स्वतंत्रता हैं** जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए।
- **बाल अधिकारों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - जीवन रक्षा का अधिकार,
  - संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार,
  - भाग लेने का अधिकार, और
  - विकास करने का अधिकार।

भारत में, एक बच्चे या बालक की परिभाषा विभिन्न कानूनों में अलग–अलग है। उदाहरण के लिए, किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष से कम और बाल श्रम अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे या बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।

बाल अधिकारों का विकास

वैश्विक स्तर पर

- **जिनेवा घोषणा–पत्र (1924):** पहली बार बच्चों के विशिष्ट अधिकारों को मान्यता दी गई।
- **यूएन फंड फॉर अर्जेंट फॉर दी चिल्ड्रन (1947):** इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विस्थापित और शरणार्थी बच्चों के लिए निर्मित किया गया था। यह बाद में यह UNICEF के रूप में विकसित हुआ। इसे वर्तमान में **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष** के रूप में जाना जाता है।
- **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC)** (1989): बाल अधिकारों के संबंध में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला बाध्यकारी सम्मेलन था।
- **बाल अधिकार सूचना नेटवर्क (CRIN) (1995):** यह वैश्विक बाल अधिकार गतिविधियों पर जानकारी एकत्र करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप से संबंधित सम्मेलन (1999) को अपनाया।**
- **बाल अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल (2000):** यह सशस्त्र संघर्षों में नाबालिगों की भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।

भारत में

- अप्रेंटिस एक्ट, 1850; रिफॉर्मेटरीज स्कूल्स एक्ट, 1897।
- **प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951** के तहत बच्चों के कल्याण हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (SWB), 'बलवाड़ियों' और 'महिला मंडलों' की स्थापना की गई।
- **बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए** स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम आदि।
- **बच्चों को सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए** सामाजिक सुरक्षा विभाग की 1964 में स्थापना की गई। वर्तमान में यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 (जिसे 1975 में संशोधित किया गया था), बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 आदि को अधिनियमित किया गया।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1974; एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), 1975।
- **बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु** राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान आदि।

भारत में बाल अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न पहलू

- शिशु और पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की उच्च मृत्यु दर
- जल संबंधी अत्यधिक उच्च सुभेद्यता
- सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन
- बाल विवाह
- शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार
- बच्चों का अवैध व्यापार
- बाल श्रम
- COVID 19 से संबंधित चुनौतियां जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, सीखने की क्षमता में ह्रास और अभिभावकों की मृत्यु आदि।

भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण में आने वाली बाधाएं

- **सामाजिक–सांस्कृतिक कारक:** इन कारकों में समाज की पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक प्रकृति, बाल संरक्षण कानूनों के लिए सामाजिक स्वीकृति का अभाव, हिंसा के मामलों की रिपोर्ट न करना आदि शामिल हैं।
- **राजनीतिक और प्रणालीगत कारक:** इन कारकों में कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन, न्याय में देरी और बच्चे की परिभाषा में असमानता आदि शामिल हैं।
- **आर्थिक कारक:** इन कारकों में बेरोजगारी और निर्धनता शामिल हैं।
- **अन्य कारक:** इन कारकों में विशिष्ट सुभेद्यता वाले बच्चों की खोई हुई पहचान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव शामिल हैं।

बालकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए प्रावधान करने हेतु उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय बाल नीति, 2013** ने बालकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता वाले चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम)**
- बाल श्रम से संबंधित ILO **कन्वेंशन 138 और 182 का अनुसमर्थन।**
- **बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग की स्थापना।**
- किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि जैसे **मौजूदा कानूनों को मजबूत करना।**
- **बाल उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान** जैसे कि अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39(e)।

बालकों और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु आगे की राह

सरकार की नेतृत्वकारी भूमिका	CSOs की सहायक भूमिका	निजी क्षेत्र की भागीदारी	प्रभावी और सक्रिय मीडिया
यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा पीछे न छूटे; विश्वसनीय डेटा का सृजन करना; बच्चों की भागीदारी के लिए मंचों का निर्माण करना; सतत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना; शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना; बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करना; निवेश में वृद्धि करना और उसे न्यायसंगत बनाना; तथा प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण करना।	संवेदीकरण; सामाजिक अंकेक्षण; पोषण संबंधी जागरूकता; माता–पिता, सेवा प्रदाताओं और समुदायों के साथ जुड़ाव; तथा बिना माता–पिता के बच्चों की देखभाल के लिए वैकल्पिक देखभाल व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।	कार्यप्रणाली में बाल अधिकार संबंधित व्यावसायिक सिद्धांतों को एकीकृत करना; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के माध्यम से बाल अधिकारों को प्राथमिकता देना; और कार्यान्वयन में नागरिक समाज संगठनों को प्रभावी ढंग से शामिल करना।	बाल अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील और निरंतर रिपोर्टिंग के साथ–साथ बाल अधिकारों की सुविधा से संबंधित उत्तम प्रथाओं द्वारा जागरूकता का निर्माण करना।